

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स/जज नाम मु.नं.- 57/24 किस्म - विविध 131 U2 Act	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	--	--

12/09/25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में  
लगाए होने से प्राथमिक कार्य नहीं हो सका /  
पत्रावली अवधिमात्र 19/09/25 को पेश हो

10.10.25 पत्रावली पेश हुई। प्राथमिक पत्रावली (पत्रावली)  
खातेदार खण्डेरी रामचंद्र राम परसादी लाल, बाला,  
मुदेश, रामचंद्र, हरिसिंह के तलवाना समान  
अर्थात् तलवाना समान अनिवार्य रूप से पेश  
करने हेतु आदेश अंतर दिया जाता है।  
पत्रावली वाले तलवा दिनांक 04.11.25 को  
पेश हो

उपखण्ड अधिकारी  
मंडावर (दौसा)

04.11.25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली को वार  
- 2 आवाज दिलवाई गई। उक्त पत्रावली अनुयायित  
रही। पत्रावली प्रथम समय से पत्रावली मालकी  
में निहित है। आर्थिक वार - 2 निर्देशों के बावजूद  
की इनके द्वारा खण्डेरी खण्डेरी, रामचंद्र राम  
परसादी लाल, बाला, मुदेश, रामचंद्र, हरिसिंह  
के तलवाना समान पेश नहीं किये अने निर्देशों  
की अवहेलना की गई। इससे स्पष्ट है कि  
रामचंद्र पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के  
लिस्ट इच्छुक्त नहीं है। इसलिए पत्रावली पत्रावली  
की अवधि लागू न आस पत्रावली में खण्डेरी की  
जारी है। पत्रावली फंसल शुभार होकर दाखिल  
करकर हो